Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 89–2021/Ext.] चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक 7 जून, 2021
(17 ज्येष्ठ, 1943 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	**अधिनियम**	
	हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 (2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3) (केवल हिन्दी में)	139–143
भाग II	**अध्यादेश**	
	कुछ नहीं	
भाग III	**प्रत्यायोजित विधान**	
	कुछ नहीं	
भाग IV	**शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन**	
	कुछ नहीं	

भाग–I

हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 7 जून, 2021

संख्या लैज. 3/2021.– दि हरियाणा स्टेट इमप्लाइमेन्ट आफ लोकल कैन्डीडेटस ऐक्ट, 2020 का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 25 मई, 2021 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17) की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगाः–

2021 का हरियाणा अधिनियम संख्या 3

हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020 हरियाणा राज्य में नियोक्ता द्वारा स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रुप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, विस्तार, प्रारम्भ, प्रभावहीनता तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा राज्य के स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2020, कहा जा सकता है।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में होगा।

(3) यह ऐसी तिथि से लागू होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे।

(4) यह इसके प्रारम्भ की तिथि से दस वर्ष की समाप्ति पर प्रभावहीन हो जाएगा, सिवाय ऐसी समाप्ति से पूर्व की गई या लोपित की जाने वाली किन्हीं बातों के संबंध में, तथा ऐसी समाप्ति पर, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (1897 का 10) की धारा 6 लागू होगी मानो यह अधिनियम तब किसी केन्द्रीय या राज्य अधिनियम, जैसी भी स्थिति हो, द्वारा निरसित कर दिया था।

(5) यह अधिनियम सभी कम्पनियों, सोसाइटियों, न्यासों, सीमित दायित्व भागीदारी फर्मों, भागीदारी फर्म और दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाले किसी व्यक्ति और किसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाए, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अपील प्राधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो श्रम आयुक्त के या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, जिसे धारा 9 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रयोजन हेतु पदाभिहित किया जाए ;

(ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो उप–मण्डल अधिकारी (नागरिक) या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो या कोई अन्य अधिकारी, जिसे धारा 7 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित किया जाए;

(ग) ''पदाभिहित अधिकारी'' से अभिप्राय है, सरकार का कोई ऐसा अधिकारी, जो उपायुक्त या उसके समकक्ष रैंक से नीचे का न हो, जिसे धारा 5 के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पदाभिहित किया जाए;

(घ) ''पदाभिहित पोर्टल'' से अभिप्राय है, धारा 3 तथा 4 के अधीन स्थानीय उम्मीदवारों तथा कर्मचारियों के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए विशेष रूप से डिजाईनड तथा पदाभिहित कोई पोर्टल ;

(ङ.) "नियोक्ता" से अभिप्राय है, कम्पनी अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम 18) के अधीन पंजीकृत कोई कम्पनी अथवा हरियाणा रजिस्ट्रीकरण तथा विनियमन अधिनियम, 2012 (2012 का 1) के अधीन पंजीकृत कोई सोसाइटी अथवा सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का केन्द्रीय अधिनियम 6) के अधीन यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म अथवा भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 (1882 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के अधीन यथा परिभाषित कोई न्यास अथवा भारतीय भागीदारी अधिनियम, 1932 (1932 का केन्द्रीय अधिनियम 9) के अधीन यथा परिभाषित कोई भागीदारी फर्म अथवा विनिर्माण के प्रयोजन अथवा कोई सेवा उपलब्ध करवाने के लिए वेतन, मजदूरी या अन्य पारिश्रमिक पर दस या दस से अधिक व्यक्तियों का नियोजन करने वाला कोई व्यक्ति अथवा ऐसी संस्था, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित की जाए, किन्तु इसमें केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन कोई संगठन शामिल नहीं होगा ;

(च) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार;

(छ) "स्थानीय उम्मीदवार" से अभिप्राय है, कोई उम्मीदवार, जो हरियाणा राज्य का अधिवासी हो;

(ज) "राज्य" से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य।

अनिवार्य पंजीकरण।

3. इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से ही, प्रत्येक नियोक्ता, इस अधिनियम के लागू होने के तीन मास के भीतर, पदाभिहित पोर्टल पर पचास हजार रूपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी प्राप्त करने वाले ऐसे कर्मचारियों को पंजीकृत करेगा :

परन्तु किसी भी नियोक्ता द्वारा कोई भी व्यक्ति तब तक नियोजित या लगाया नहीं जाएगा, जब तक ऐसे सभी कर्मचारियों का पंजीकरण पदाभिहित पोर्टल पर पूरा नहीं किया जाता है।

व्याख्या.– इस अधिनियम की धारा 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए, पदाभिहित पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रक्रिया, सरकार द्वारा, समय–समय पर, अधिसूचित नियमों के अधीन विहित की जाएगी।

स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती।

4. इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद, प्रत्येक नियोक्ता, पचास हजार रूपए से अनधिक या सरकार द्वारा, समय–समय पर, यथा अधिसूचित सकल मासिक वेतन या मजदूरी वाले ऐसे पदों के संबंध में स्थानीय उम्मीदवारों का पचहत्तर प्रतिशत नियोजन करेगा :

परन्तु स्थानीय उम्मीदवार राज्य के किसी भी जिले से हो सकते हैं, किन्तु नियोक्ता, अपनी पसंद से, स्थानीय उम्मीदवारों की कुल संख्या के दस प्रतिशत तक किसी जिले से स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन निर्बन्धित कर सकता है:

परन्तु यह और कि कोई भी स्थानीय उम्मीदवार, इस अधिनियम के अधीन लाभों के उपभोग हेतु तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह अपने आप को पदाभिहित पोर्टल पर पंजीकृत नहीं करवा लेता।

छूट।

5. (1) नियोक्ता धारा 4 की अपेक्षा से छूट का दावा कर सकता है, जहां वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की पर्याप्त संख्या, ऐसे प्ररूप तथा रीति, जो विहित की जाए, में पदाभिहित अधिकारी को आवेदन करने पर उपलब्ध नहीं है।

(2) पदाभिहित अधिकारी, ऐसी जांच करने के बाद, जो वह उचित समझे और वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता के स्थानीय उम्मीदवारों की भर्ती के लिए नियोक्ता द्वारा किए गए प्रयास का मूल्यांकन करने के बाद, या तो–

(i) धारा 4 के उपबन्धों से छूट देने के लिए नियोक्ता के दावे को स्वीकार कर सकता है ; या

(ii) अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से छूट देने के लिए नियोक्ता के दावे को रद्द कर सकता है ; या

(iii) वांछित कौशल, योग्यता या निपुणता को प्राप्त करने के लिए स्थानीय उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए नियोक्ता को निर्देश दे सकता है।

(3) उपधारा (2) के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए प्रत्येक आदेश को सरकार की वैबसाइट पर डाला जाएगा।

नियोक्ता द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करना।

6. प्रत्येक नियोक्ता, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पदाभिहित पोर्टल पर उस तिमाही के दौरान नियोजित और नियुक्त किए गए स्थानीय उम्मीदवारों की तिमाही रिपोर्ट ऐसी तिथि तक प्रस्तुत करेगा, जो सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचित की जाए।

अभिलेखों तथा दस्तावेजों तक पहुंच, सत्यापन करने की शक्ति।

7. (1) धारा 6 के अधीन नियोक्ता द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्टों की जांच प्राधिकृत अधिकारी द्वारा की जाएगी।

(2) प्राधिकृत अधिकारी को धारा 6 के अधीन प्रस्तुत की गई रिपोर्ट का सत्यापन करने के प्रयोजनों के लिए किसी नियोक्ता के कब्जे में किसी अभिलेख, सूचना या दस्तावेज की मांग करने की शक्तियां होंगी।

(3) प्राधिकृत अधिकारी, रिपोर्ट की जांच करने के बाद, कोई भी आदेश पारित कर सकता है, जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की अनुपालना करने के लिए आवश्यक हो।

(4) उपधारा (3) के अधीन जारी किया गया प्रत्येक ऐसा आदेश सरकार की वैबसाइट पर डाला जाएगा।

परिसरों में प्रवेश करने तथा उनका निरीक्षण करने की शक्ति।

8. (1) इस धारा के उपबन्धों के अध्यधीन, प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी सहायता सहित, जो वह आवश्यक समझे, सभी युक्तियुक्त समय पर–

(क) इस अधिनियम के अधीन उसे सौंपे गए किन्हीं कृत्यों के निर्वहन के प्रयोजन हेतु ;

(ख) क्या निर्वहन किए जाने वाले किन्हीं ऐसे कृत्यों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की अनुपालना की जा रही है या की गई है और यदि हां, तो किस रीति में की गई है, के अवधारण के प्रयोजन हेतु ;

(ग) जब उसे विश्वास करने का कारण है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई अपराध किया गया है या किया जा रहा है, के बारे में किसी अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज की जांच के प्रयोजन हेतु,

किसी स्थान में प्रवेश करने का अधिकार होगा।

(2) प्रत्येक नियोक्ता उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को सभी सहायताएं देगा और यदि वह किसी युक्तियुक्त कारण के बिना ऐसा करने में असफल रहता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा।

(3) यदि उप–धारा (1) के अधीन प्राधिकृत अधिकारी को उसके कृत्यों के निर्वहन में कोई व्यक्ति जानबूझकर विलम्ब करता है या बाधा पहुंचाता है, तो वह इस अधिनियम के अधीन अपराध का दोषी होगा :

परन्तु कोई भी प्रवेश 0600 बजे तथा 1800 बजे के समय के बीच तथा प्रवेश के आशय का नोटिस, तिथि, जिसको प्रवेश किया जाना प्रस्तावित है, से कम से कम एक दिन पूर्व दिए जाने के सिवाय, नहीं किया जाएगा।

अपील ।

9. (1) धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी अथवा धारा 7 के अधीन प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई नियोक्ता, ऐसे अपील प्राधिकारी को साठ दिन के भीतर ऐसे प्ररूप में तथा ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अपील कर सकता है ।

(2) उप–धारा (1) के अधीन की गई प्रत्येक अपील के साथ ऐसी फीस, लगायी जाएगी, जो विहित की जाए।

(3) उप–धारा (1) के अधीन अपील की प्राप्ति के बाद, अपील प्राधिकारी, अपीलकर्ता को सुनवाई का अवसर दिए जाने के बाद, यथा संभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा।

(4) अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश को विखंडित, पुष्ट या उपांतरित कर सकता है।

(5) अपील प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया का अनुसरण करेगा, जो विहित की जाए।

सामान्य शास्ति ।

10. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि नियोक्ता द्वारा इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इस अधिनियम के अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना की गई है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपए तक बढ़ायी जा सकती है, के लिए भी दायी होगा।

धारा 3 की उल्लंघना के लिए शास्ति ।

11. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम की धारा 3 या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों या इसके अधीन लिखित में दिए गए किसी आदेश की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पच्चीस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे एक लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए पांच सौ रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

धारा 4 की उल्लंघना के लिए शास्ति ।

12. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता इस अधिनियम की धारा 4 या इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या इसके अधीन दिए गए लिखित में किसी आदेश के उपबन्धों की उल्लंघना करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे दो लाख रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

धारा 5 के अधीन जारी किए गए निर्देश की अवज्ञा के लिए शास्ति ।

13. इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से अन्यथा यथा उपबन्धित के सिवाय, यदि कोई नियोक्ता धारा 5 के अधीन पदाभिहित अधिकारी द्वारा किए गए लिखित में किसी आदेश की अवज्ञा करता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दस हजार रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जिसे पचास हजार रूपए तक बढ़ाया जा सकता है, और यदि उल्लंघना दोषसिद्धि होने के बाद भी जारी रहती है, तो इस प्रकार उल्लंघना जारी रहने के समय तक ऐसी और शास्ति, जो प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय किसी अपराध का दोषी होगा।

अभिलेख इत्यादि के मिथ्याकरण और प्रस्तुत नहीं करने के लिए शास्ति।

14. (1) जो कोई भी–

(क) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों की अनुपालना के संबंध में किसी दस्तावेज के बारे में झूठे अभिलेख प्रस्तुत करता है या जालसाजी करता है या जानबूझकर कोई झूठा कथन, घोषणा करता है या साक्ष्य प्रस्तुत करता है या प्रयोग करता है ; या

(ख) विवरण, इन्द्राज या ब्यौरे देते हुए जानबूझकर कोई झूठी विवरणी तैयार करता है, नोटिस देता है, अभिलेख या रिपोर्ट परिदत्त करता है,

तो ऐसे प्रत्येक अपराध के लिए ऐसी शास्ति, जो पचास हजार रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा।

(2) जहां उप–धारा (1) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का दोषसिद्ध किया गया कोई व्यक्ति उसी उपबन्ध के अधीन किसी अपराध के लिए दोबारा दोषसिद्ध ठहराया जाता है, तो वह ऐसी शास्ति, जो दो लाख रूपए से कम नहीं होगी, किन्तु जो पांच लाख रूपए तक बढ़ाई जा सकती है, से दण्डनीय होगा।

सुनवाई का नोटिस तथा अवसर।

15. (1) इस अधिनियम की धारा 5 या धारा 7 के अधीन कोई भी आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा, जब तक नियोक्ता को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दे दिया गया हो।

(2) इस अधिनियम के अधीन कोई भी शास्ति तब तक अधिरोपित नहीं की जाएगी, जब तक सम्बद्ध व्यक्ति को पदाभिहित अधिकारी द्वारा अधिरोपित की जाने वाली प्रस्तावित शास्ति के आधारों को लिखित में सूचित करने बारे और उसे सुनवाई का अवसर देने बारे नोटिस नहीं दे दिया जाता है।

कम्पनियों द्वारा अपराध।

16. जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी है, तो उसके प्रबन्धन से सम्बन्धित प्रत्येक निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, अभिकर्ता या अन्य अधिकारी या व्यक्ति, जब तक वह यह सिद्ध नहीं कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान या सहमति के बिना किया गया था, ऐसे अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा।

सीमित दायित्व भागीदारी फर्म द्वारा अपराध।

17. जहां इस अधिनियम के अधीन किसी सीमित दायित्व भागीदारी द्वारा किया गया कोई अपराध–

(i) सीमित दायित्व भागीदारी के किसी भागीदार या भागीदारियों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारियों की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया सिद्ध हो जाता है; या

(ii) उस सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या भागीदारियों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारियों की ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया सिद्ध हो जाता है,

तो सीमित दायित्व भागीदारी के भागीदार या भागीदारों या पदाभिहित भागीदार या पदाभिहित भागीदारों, जैसी भी स्थिति हो, के साथ–साथ वह सीमित दायित्व भागीदारी भी अपराध के दोषी होंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किए जाएंगे।

सोसाइटियों या न्यासों द्वारा अपराध।

18. (1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है, तो प्रत्येक व्यक्ति, जो किए गए अपराध के समय सोसाइटी या न्यास, जैसी भी स्थिति हो, के कार्य संचालन के लिए कार्य प्रभारी था तथा उत्तरदायी था, को अपराध के दोषी के रूप में समझा जाएगा तथा अपने विरूद्ध कार्यवाही किए जाने के लिए दायी होंगे तथा तदनुसार दण्डित किए जाएंगे :

परन्तु इस उप–धारा में दी गई कोई भी बात, इस अधिनियम में उपबन्धित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को दायी नहीं बनाएगी, यदि वह सिद्ध कर देता है कि अपराध उसके ज्ञान के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध को रोकने के लिए सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप–धारा (1) में दी गई किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी सोसाइटी या न्यास द्वारा किया गया है और यह सिद्ध हो जाता है कि अपराध सोसाइटी या न्यास के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी की सहमति से या मौनानुकूलता से किया गया है, या उसकी ओर से किसी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया है, तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव, न्यासी या अन्य अधिकारी उस अपराध के दोषी के रूप में समझे जाएंगे और अपने विरूद्ध कार्यवाही के किए जाने के लिए दायी होंगे और तदनुसार दण्डित किए जाएंगे।

अभियोजन की परिसीमा और अपराध का संज्ञान।

19. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान तब तक नहीं लेगा, जब तक प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी द्वारा कथित अपराध होने की जानकारी की तिथि से छह मास के भीतर उसके संबंध में कोई शिकायत नहीं की जाती है।

(2) महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्नतर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा।

व्याख्या.– इस धारा के प्रयोजनों के लिए,–

(क) अपराध जारी रहने की दशा में, परिसीमा की अवधि, अपराध जारी रहने के दौरान हर समय के संदर्भ में संगणित की जाएगी;

(ख) जहां कोई कार्य करने के लिए, नियोक्ता द्वारा किए गए आवेदन पर समय प्रदान या विस्तारित किया जाता है, तो इस प्रकार प्रदान या विस्तारित समय की समाप्ति की तिथि से परिसीमा की अवधि संगणित की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्यवाही का संरक्षण।

20. इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसरण में सद्भावपूर्वक या की जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए किसी प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी या ऐसे प्राधिकृत अधिकारी या पदाभिहित अधिकारी के आदेश या निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति या व्यक्ति–निकाय के विरूद्ध किसी न्यायालय में कोई भी वाद या विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

कठिनाईयां दूर करने की शक्ति ।

21. यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी रूप देने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि के भीतर, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, इस अधिनियम के उपबंधों से अन्असंगत ऐसे उपबंध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक तथा समीचीन प्रतीत हों।

निर्देश या आदेश जारी करने की शक्ति।

22. सरकार, समय–समय पर, इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी रूप देने हेतु लिखित में निर्देश या आदेश जारी कर सकती है।

अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना।

23. तत्समय लागू किसी अन्य राज्य विधि में दी गई किसी बात से असंगत या ऐसी विधि के फलस्वरूप प्रभाव रखने वाली किसी लिखत के होते हुए भी, इस अधिनियम के उपबन्ध का अध्यारोही प्रभाव होगा।

नियम बनाने की शक्ति ।

24. (1) सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के सभी या किन्हीं प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद, तुरन्त राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

बिमलेश तंवर,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।

9195—L.R.—H.G.P., Pkl.